

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

29/4/26

पत्रावली प्राप्त हुई। करीब वादी/प्राचीन उपाय करीब
प्राचीन की सम्बन्धीत बहस सुनी गई।
करीब प्राचीन ने 500 पत्र के साथ ही
दोहरते हुये कानून विना कि विवाहित
आदाती प्राचीन के पूर्ववत् की दोहरी
हुयी प्रतिक आदाती है। पिछले प्राचीन
को पत्र लेने ही आधिकार देता ही पत्र
है। अर्थात् उक्त विवाहित आदाती का
खानेदारी इन्डिया वायस रिकार्ड के आधिकार
होने का पत्र उक्त हुये विवाहित प्राचीन
को आधिकार प्रदान करने का बयान
करना चाहता है। अर्थात् को न कि समा
वाद आधिकार प्रदान है। पत्र के विना
पत्र को विवाहित विना है।

उक्त उपाय करीब प्राचीन की बहस
सुनी गई। प्रथम पत्र, शपथ पत्र एवं
प्रथम पत्र के साथ सम्बन्धित वायस रिकार्ड
सम्बन्धी संख्या 2075-78, गवर्नर गणराज्य
कारण इन्डिया उक्त कुराना का आधिकार
दिया गया। अर्थात् उक्त उपाय के
वाक्य उपाय नतीज का है। उक्त प्राचीन
के उपाय उक्त प्रकरण के आधिकार के को
भी पत्र, साक्ष्य आदि प्राप्त नहीं मिले
है। अर्थात् को, सुविधा का संतुलन
है। अर्थात् को के विना प्राचीन के
हक के आधिकार होत है।

आतः दिनांक 02.11.2022 को पत्रिका
अधिकार आधिकार प्रदान न कि समा
वाद आधिकार की पत्र है। पत्रावली प्रथम
सुभा है। उक्त से पत्र होकर आधिकार
उत्तर होत है।